

फैक्स/ स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-3012/2014 श्र0सं0- 91  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

सैयद परवेज आलम,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
शेखपुरा /दरभंगा /गया/वैशाली (हाजीपुर)/ बक्सर/पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी) ।

पटना, दिनांक :- 18.2.15

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तराज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड- पी 2230017890103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 2885 दिनांक- 26.09.2014 के आलोक में चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष-2014-15 में 31 मार्च 2015 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख) मात्र प्रति मृतक मजदूर की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि	अभ्युक्ति (मृतक का नाम एवं पता)
1	2	3	4	5	6
1	शेखपुरा	01	31-06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	100000/-	पत्रांक-172 एवं 295 क्रमशः दिनांक-17.07.14 एवं 01.12.14 के आलोक में (1) स्व० रामवरण राम आश्रित सुन्दरी देवी ग्राम-गुडैरा, पो०-माफो, थाना-कोरमा जिला- शेखपुर के भुगतान हेतु।
2	दरभंगा	02	तदैव	200000/-	ज्ञापांक-1110 एवं ज्ञापांक-56 क्रमशः दिनांक-1.10.13 एवं 15.01.15 के आलोक में (1) स्व० विरजु पासवान आश्रित मो० पवित्री देवी(पत्नी) ग्राम-राजवाड़ा, पो०-नेहरापूर्वी, थाना-नेहरा, प्रखंड-मनीगाछी जिला-दरभंगा (2) स्व० मंगल राम आश्रित मसो० बबीता देवी(पत्नी) ग्राम-घेघरू, पो०+ प्रखण्ड+थाना- बेनीपुर जिला-दरभंगा भुगतान हेतु।
3	गया	04	तदैव	400000/-	पत्रांक-771, 772, 773 एवं 774 चारो दिनांक- 01.12.14, के आलोक में (1) स्व० राजेश कुमार दास आश्रित मो० लक्ष्मनीया देवी (माता), ग्राम-पाठक विगहा,अंचल+थाना-गुरूआ, जिला-गया (2) स्व० नरेश केवट आश्रित मो० मंजु देवी (पत्नी), ग्राम- दिग्घी मठिया पो०-दिग्घी, थाना- कोंच, जिला-गया (3) स्व० सत्येन्द्र चौधरी आश्रित गुजरी सोनामंती देवी (पत्नी) ग्राम- दिग्घी मठिया पो०-दिग्घी, थाना- कोंच, जिला-गया (4) स्व० अजीत

					प्रभात आश्रित महेश पासवान (पिता), ग्राम-पटखौलिया, पो0-गोटीबांध, थाना+प्रखंड- डुमरिया जिला- गया के भुगतान हेतु।
4	वैशाली (हाजीपुर)	02	तदैव	200000/-	पत्रांक-1994 एवं 2000 दोनों दिनांक- 31.12.14, के आलोक में (1) स्व0 सुरज पासवान आश्रित मो. जलेश्वरी देवी (पत्नी), ग्राम+पो0- गुड़मियां थाना- करताहां, प्रखण्ड- लालगंज, जिला- वैशाली (हाजीपुर) (2) स्व0 अमित कुमार दास आश्रित श्री रामबाबू दास (पिता), ग्राम-यदुनन्दनपुर, पो0- महिपुरा, थाना+प्रखण्ड- जन्दाहा, जिला-वैशाली (हाजीपुर) के भुगतान हेतु।
5	बक्सर	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-170476/सा0सु0 दिनांक-13.9.13 के आलोक में (1) स्व0 प्रदीप मुसहर आश्रित राधिका देवी पति-विशुनदयाल मुसहर (माता-पिता), ग्राम+पो0- केसठ प्रखण्ड- केसठ, जिला- बक्सर के भुगतान हेतु।
6	पूंचम्पारण (मोतिहारी)	01	तदैव	100000/-	पत्रांक-814 दिनांक-31.12.14 के आलोक में (1) स्व0 भरत राम वैध आश्रित सोनालाल राम, मुन्ना राम टुनालाल राम, संगीता कुमारी एवं सविता देवी (पुत्र-पुत्री), ग्राम-असर्फी साह टोला तुरकौलिया, पो0+थाना-तुरकौलिया जिला-पूंचम्पारण(मोतिहारी) के भुगतान हेतु।
कुल योग		11		11,00,000/-	

कुल आवंटित राशि रूपये 11,00,000/- (रूपये ग्यारह लाख) मात्र ।

- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना: नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल कर मृतक के वैध आश्रित को भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि0(2) दिनांक-11.3.14, पत्रांक-687/वि0दिनांक-24.07.14, एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है ।
- उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

विश्वासभाजन,

(सैयद परवेज आलम) 18/2/15

श्रमायुक्त, बिहार 18/2/15

ज्ञापांक-6/एफ 1-3012/2014 श्र0सं0-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अश्रित मजदूर  
बजट प्रभारी

पटना, दिनांक 18.2.15

अश्रित मजदूर  
बजट प्रभारी

(सैयद परवेज आलम) 18/2/15

श्रमायुक्त, बिहार।

18/2/15 68